तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12600/2004/सीकर** **जगन्नाथ बनाम ग्रामवासियान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री मुकेश जैन/श्री समीर अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः06.12.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, सीकर की अपील संख्या 22/2004 बउनवानी जगन्नाथ बनाम ग्रामवासी में पारित निर्णय दिनांक 09–07–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चारण का बास के व्यक्तियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत चैनपुरा दादली के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ग्राम चारण का बास से कुडली जाने वाले आम रास्ता को प्रार्थी द्वारा बन्द किये जाने पर खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे दर्ज किया गया। सरपंच ने अवरूद्ध रास्ते को तुरन्त खोलने का आदेश दिनांक 20–2–2004 को पारित किया गया, जिस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान जिला कलक्टर, सीकर ने अपने आदेश दिनांक 9–7–2004 से अस्वीकार कर दी जिस आदेश दिनांक 9–7–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2004 एवं 9–7–2004 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रेकार्ड होकर काबिल निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थनाकर्ता स्वयं की खातेदारी का इन्जॉयमेन्ट और उपयोग किये जाने के लिए सुखाधिकार क्लेम करते हुए एवं उस सुखाधिकार में अवरोध करने पर ग्राम पंचायत उप सुखाधिकारों को रेस्टोर करने के लिए इस धारा के तहत (251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) के तहत क्षेत्राधिकार रखती है किन्तु अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/12600/2004/सीकर</u>** **जगन्नाथ बनाम ग्रामवासियान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, वह न तो उनके द्वारा खेतों पर जाने के लिए प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में उन्होंने क्लेम किया और न प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर सुखाधिकार होना ही माना है। ग्राम पंचायत चैनपुरा ने प्रकरण दर्ज करते हुए प्रार्थी को प्रथम तिथि पर ही नोटिस देना चाहिए उसके बाद अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत ने प्रकरण दर्ज करते हुए पंचायत पंचगण की एक कमेटी बनाकर मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। ग्राम पंचायत के समक्ष सुरजाराम व अन्य ने दिनांक 20-12-2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण अर्थात निर्णय दिनांक 20-2-2004 को किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच की जानकारी में ला दिया था कि ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किये जाने से उनका क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी आदेश दिनांक 20-2-2004 पारित कर स्टेटट्री प्रिगड के बाद निर्णय दिया गया जिससे स्वतः ही ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त हो जाता है। नया रास्ता खोलने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं है। केवल 45 दिन का क्षेत्राधिकार है। आजकल ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं है। अन्त में निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलक्टर, सीकर एवं ग्राम पंचायत चैनपुरा के आदेश क्रमशः दिनांक 9-7-2004 एवं 20-2-2004 निरस्त फरमाया जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2018 आर0आर0टी0 पेज 118, 2007 आर0बी0जे0 पेज 145, 2002 आर0आर0डी0 पेज 745 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क दिये कि रास्ते के बाबत् ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है। रास्ता कदीमी विद्यमान था। विद्वान जिला कलक्टर ने अपील सही खारिज की है। इसलिए प्रार्थीगण की निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

6- विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 20-2-2004 में अंकित किया कि सदन ने यह निर्णय लिया कि रास्ता आम है। अतः अतिशीघ्र खुलना आवश्यक है जिसकी सूचना प्रतिवादियों को दी जावें और उनको हिदायत है कि रास्ते को 7 दिन के अन्दर-अन्दर दुरूस्त करके पंचायत को सूचित कर दे अन्यथा बाद मयाद पंचायत अधिनियम के अनुसार आपको पंचायत आज्ञा की अवहेलना का दोषी नियमानुसार अर्थदण्ड की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12600/2004/सीकर** **जगन्नाथ बनाम ग्रामवासियान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वसूली की जावेगी। विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर ने अपने निर्णय में माना कि आम नागरियों के हितों को ध्यान में रखकर प्रश्नगत रास्ता अवरूद्ध किये जाने पर खुलवाने का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-2004 यथावत रखा जाता है।

7- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 20-02-2004 को आम रास्ते को खुलवाने हेतु आदेश पारित किया जिसमे विरूद्ध अपील होने पर विद्वान जिला कलक्टर ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपील खारिज कर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 20-02-2004 यथावत रखा गया।

8- पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20-12-2003 को बैठक की गई जिसकी अनुपालना में पंचगण द्वारा चारण का बास से कुड़ली जाने वाले रास्ते का मौका देखकर मौका रिपोर्ट बनाई गई। मौका रिपोर्ट में अंकित है कि हमारी सभी की यही राय है कि यह रास्ता आम रास्ता है। अतः इसे खुलवाये जाने की अभिशंषा की जाती है। पत्रावली में आंशिक नकल नक्शा शीट भी संलग्न है। इस मौका रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्ते को खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जो विधि सम्मत है।

9- विद्वान जिला कलक्टर, सीकर द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए ग्राम पंचायत का निर्णय यथावत रखा गया है, जो उचित है।

10 अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाकर विद्वान जिला कलक्टर, सीकर का निर्णय दिनांक 9-7-2004 यथावत रखा जाता है।

11- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य